तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व अपील संख्या 03/2026 (2026/47) अनवान सुखीदेवी बनाम घेवरराम वगैरा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.2026	पत्रावली आज पेश हुई। अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भीयाराम पुत्र मुकनाराम के नाम की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जोधपुर के खसरा नम्बर 291 में रकबा 91 बीघा 13 बिस्वा मे 1/4 हिस्सा आया हुआ है। भींयाराम के द्वारा अपने 1/4 हिस्से जो कि 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि के लिए बक्सीसनामा अपीलान्ट के हक में दिनांक 19.01.2022 को निष्पादित किया। जिस बक्सीसनामा को उप पंजीयक लूणी के द्वारा दिनांक 19.01.2022 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 331 मे पृष्ठ संख्या 52 में कम संख्या 202203063100313 पर पंजीबद्व किया तथा जायदाद का कब्जा अपीलान्ट को जरिये बक्सीसनामा सुपुर्द कर दिया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट के द्वार पटवारी से सम्पर्क कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाही लेकिन पटवारी के द्वारा तहसील से ऑन लाईन होने व नामान्तरकरण मे समय लगने की बताते हुए टालमटोल जबाव देते रहे। भीयारांम की मृत्यु दिनांक 27.12.2024 को हो जाने पर उनके वारिसान के द्वारा विचाराधीन नामान्तरकरण के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के द्वारा अपना नाम करवाया गया। तथा 1/4 हिस्से में 1/20 हिस्सा प्रत्येक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज किया गया। भींयाराम के जीवनकाल मे ही अपने हक हिस्से की भूमि का बक्सीसनामा अपीलान्ट के हक में निष्पादित कर दिया था। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर विचाराधीन नामान्तरकरण संख्या 2418 जो दिनांक 10.04.2025 को ग्राम पंचायत नन्दवान के द्वारा भरा गया है। को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 5 की और से अधिवक्ता प्रकाश राणावत ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र बाबत राजीनाम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर बताया गया है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 05 के पति/पिता श्री भींयाराम ने अपने जीवनकाल में खसरा नम्बर 291 में से रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा का बक्शीशनामा का दस्तावेज अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित कर दिया था जो पंजीयन विभाग लूणी जोधपुर के समक्ष पंजीबद्व शुदा है। अपीलार्थी द्वारा उक्त बख्शीशनामा के आधार पर अपना नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाने के कारण प्रत्यर्थीगण द्वारा अपना उक्त खसरा में जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के द्वारा अपना नाम दर्ज करवा दिया गया था। अब दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमती से राजीनामा हो गया है कि अपीलार्थी की अपील को मन्जूर कर उनके नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पारित करता है तो प्रत्यर्थीगण को कोई उजर-एजराज व आपति इत्यादि नहीं है। दोनों पक्षों के राजीनामा के आधार पर अपीलार्थी के हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज किए जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया है। हमने अधिवक्ता की बहस सूनी गई एवं बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों पक्षों में मध्य आपसी सहमती से राजीनामा हो गया है। एवं दोनो पक्षों के राजीनामा के आधार पर अपीलार्थी के हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट को उजर-एतराज व आपत्ति इत्यादि नहीं है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 2418 में सरपंच ग्राम पंचायत नन्दवान का आदेश दिनांक 10.04.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार लूणी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 19.01.2022 के आधार पर नियमानुसार अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही नये सरे से करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। (हँसमुख कुमार) सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी लूणी	